प्रारूप–घ

<u>न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, देवास (म.प्र.)</u> **<u>(समक्ष : अजय प्रकाश मिश्र)</u>**			
	Registration No.	:	ST/167/2024
	Filing No.	:	3987/2024
	CNR No.	:	MP4101-004737-2024
	Filing Date	:	10-07-2024
निर्णय की तारीख : **03/10/2024**			
प्रकरण सं. : सत्र प्रकरण क. 167/2024			
(आरक्षी केन्द्र महिला पुलिस थाना, देवास, जिला देवास (म.प्र.) अपराध कमांक 0012/2024, धारा 498–ए, 323, 377, 506, 354, 354(क)(1)(i), 354(ख), 509, 34 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम)			

परिवादी		मध्यप्रदेश राज्य द्वारा – आरक्षी केन्द्र महिला पुलिस थाना, जिला देवास
प्रतिनिधित्व द्वारा		श्रीमती जयंती पौराणिक, अपर लोक अभियोजक।
अभियुक्त	(1)	महावीर आर्य आत्मज श्रीनिवास आर्य, आयु 22 वर्ष,
	(2)	श्रीनिवास आर्य आत्मज देवीलाल आर्य, आयु 55 वर्ष,
		निवासीगण–492, स्लाईस–3, सेक्टर–ए, स्कीम नंबर 78, अरण्य नगर, विजय नगर, इंदौर (म.प्र.)

प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री देवनारायण कनासिया, अधिवक्ता।

प्रारूप–ड.

अपराध की तारीख	:	19.03.2024 से 02.04.2024 तक
प्र.सू.रि. की तारीख	:	04.04.2024
आरोप–पत्र की तारीख	:	10.06.2024
आरोपों की विरचना की तारीख	:	10.07.2024
साक्ष्य प्रारम्भ किए जाने की तारीख	:	20.07.2024
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	:	03.10.2024
निर्णय की तारीख	:	03.10.2024
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	:	निल

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किए जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषसिद्धि / दोषमुक्ति	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	महावीर आर्य आत्मज श्रीनिवास आर्य	05.04.24	02.05.24	धारा 498–ए, 323, 377, 506 भाग–2, 354, 354(क) (1) (i) भा.द.सं. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम	दोषमुक्ति	निल	05.04.24 से02.05.24 तक
2.	श्रीनिवास आर्य आत्मज	10.06.24	12.06.24	धारा 498–ए, 294	दोषमुक्ति	निल	10.06.24 से12.06.24

	देवीलाल आर्य			भा.द.सं. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम			तक

प्रारूप–च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन :–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.1	अभियोक्त्री	फरियादिया
अ.सा.2	अभियोक्त्री के पिता	अनुश्रुत साक्षी
अ.सा.3	अभियोक्त्री के भाई	अनुश्रत साक्षी
अ.सा.4	डॉ. सूर्यप्रताप सिंह चौहान	चिकित्सक साक्षी
अ.सा.5	चंद्रकला आर्वे	पुलिस साक्षी (निरीक्षक)

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
	निल	––

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति

		(चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
	निल	——

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन :

सं. क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी. 1 /अ.सा.01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी. 2/अ.सा.01	मेडिकल परीक्षण हेतु अभियोक्त्री का सहमति पत्र
3	प्रदर्श पी. 3/अ.सा.01	अभियोक्त्री की शादी की पत्रिका व फोटोग्राफ्स का जप्ती पत्रक
4	प्रदर्श पी. 4 एवं 5 /अ.सा.01	मौका नक्शा
5	प्रदर्श पी. 6 /अ.सा.01	साड़ी व उसके फोटो का जप्ती पत्रक
6	प्रदर्श पी. 7/अ.सा.01	अभियोक्त्री का पुलिस कथन
7	प्रदर्श पी. 8/अ.सा.01	अभियोक्त्री के पूरक कथन
8	प्रदर्श पी. 9/अ.सा.02	अभियोक्त्री के पिता के पुलिस कथन
9	प्रदर्श पी. 10/अ.सा.03	अभियोक्त्री के भाई के पुलिस कथन
10	प्रदर्श पी. 11/अ.सा.04	अभियुक्त महावीर की मेडीकल रिपोर्ट
11	प्रदर्श पी. 12/अ.सा.05	अभियोक्त्री का मजरूह फार्म
12	प्रदर्श पी.13 एवं 14 /अ.सा.05	धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र
13	प्रदर्श पी. 15/अ.सा.05	अभियोक्त्री के जप्तशुदा आर्टिकल की जांच. हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजा गया एफ.एस.एल ड्राफ्स

14	प्रदर्श पी. 16/अ.सा.05	प्र.पी.15 के ड्राफ्स की प्राप्ति रसीद
15	प्रदर्श पी. 17/अ.सा.05	एफ.एस.एल. झूमरघाट राउ से प्राप्त जांच रिपोर्ट
16	प्रदर्श पी. 18/अ.सा.05	अभियुक्त श्रीनिवास को दिया गया धारा 41–क दं.प्र.सं. का सूचना पत्र
17	प्रदर्श पी. 19/अ.सा.05	अभियुक्त महावीर का गिरफ्तारी पत्रक
18	प्रदर्श पी. 20/अ.सा.05	अभियोक्त्री के सीलबंद आर्टिकल का जप्ती पंचनामा
19	प्रदर्श पी. 21/अ.सा.05	अभियुक्त के सीलबंद आर्टिकल का जप्ती पंचनामा

ख. प्रतिरक्षा :–

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	निल	–

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	निल	–

घ. आवश्यक वस्तुएं :

सं. क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	अभियोक्त्री की शादी की पत्रिका	आर्टिकल 'ए–1'
2	अभियोक्त्री की शादी के फोटोग्राफ्स	आर्टिकल 'ए–2' लगायत 'ए–5'

यह प्रकरण श्रीमती किरण सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक/Registration No.747/2024, Filing No. 2264/2024, CNR No. M.P. 4101-004053-2024, Date of Filing 10-06-2024 (महिला पुलिस थाना देवास, जिला देवास के अपराध क्र. 12/2024 अन्तर्गत धारा 498-ए, 323, 377, 506, 354, 354(क)(1)(i), 354(ख), 509, 34 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम) मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र महिला पुलिस थाना, जिला देवास विरूद्ध महावीर आर्य एवं 01 अन्य में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 11.06.2024 से उद्‌भूत।

:: निर्णय ::

(आज दिनांक 03/10/2024 को घोषित किया गया)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण में से अभियुक्त महावीर आर्य पर धारा 498-ए, 323, 377, 506 भाग-2, 354, 354(क)(1)(i) भा.द.सं. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत यह आरोप है कि वह फरियादिया/अभियोक्त्री अ.सा.01 का पति होते हुए दिनांक 19/03/2024 से 02/04/2024 के मध्य फरियादिया के साथ क्रूरता का व्यवहार किया, उसे स्वेच्छया उपहति कारित किया, फरियादिया के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध स्वेच्छया इंद्रीय भोग कारित किया, उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा फरियादिया की इच्छा के विरूद्ध उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसके साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध इंद्रीय भोग करने के लिए उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा फरियादिया की इच्छा के विरूद्ध उसके साथ शारीरिक सम्पर्क एवं अग्रक्रियाएं, जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित था, कारित किया तथा फरियादिया का पति होते हुए फरियादिया तथा उसके माता-पिता से दहेज के रूप में कार की मांग की। प्रकरण के दूसरे अभियुक्त श्रीनिवास

आर्य पर धारा 498–ए, 294 भा.दं.सं. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत यह आरोप है कि वह फरियादिया के पति का संबंधी (ससुर) होते हुए दिनांक 19/03/2024 से 02/04/2024 के मध्य फरियादिया के साथ क्रूरता कारित किया, उसे सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गालियां देकर फरियादिया तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभकारित किया और फरियादिया के पति का संबंधी होते हुए फरियदिया से अथवा उसके माता–पिता से दहेज के रूप में कार की मांग की।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोक्त्री/ फरियादिया ने दिनांक 04/04/2024 को अपने पिता अ.सा.02, अपने भाई अ.सा.03 एवं अपनी बड़ी मम्मी के साथ महिला पुलिस थाना देवास में जाकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 04/02/2024 को उसका विवाह हिंदु रीति–रिवाज से अभियुक्त महावीर आर्य के साथ हुआ था। विवाह के बाद कुछ समय ससुराल में रहने के बाद वह अपने मायके आ गई थी। दिनांक 24/02/2024 को अभियोक्त्री अ.सा.01 की सास सुशीला एवं ससुर श्रीनिवास उसे लेने के लिए उसके मायके आये, तब उसके ससुर ने उसके माता–पिता को बोला था कि तुमने दहेज में कार नहीं दी और केवल पल्सर गाड़ी दी है, जिसके कारण पूरी बारात के सामने उसकी बेइज्जती हुई। शादी के बाद से अभियोक्त्री अ.सा.01 का पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में जबर्दस्ती करता था और मना करने पर झगड़ा करता था तथा अश्लील गालियां देता था, जिसके कारण अभियोक्त्री अपने मायके आ गई। दिनांक 17/03/2024 को अभियोक्त्री के ससुर श्रीनिवास तथा उसके काका ससुर संतोष उसे लेने के लिए आये तो अभियोक्त्री उस दिन उनके साथ अपने ससुराल चली गई। दिनांक 19/03/2024 को अभियोक्त्री को मासिक धर्म होने से उसने अपने पति को शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया था, लेकिन रात 02:30 बजे के करीब अभियुक्त महावीर आर्य ने अभियोक्त्री के मुंह में कपड़ा भरकर उसके हाथ बांध दिये और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया तथा अपना लिंग अभियोक्त्री के मुंह में डालकर अप्राकृतिक

तरीके से उसके साथ मैथून किया और उसके पश्चात अभियोक्त्री के लेट्रीन के रास्ते में भी सैक्स करने की कोशिश करने लगा। अभियोक्त्री ने जब ऐसा करने से मना किया और अपने आपको छुड़ाने की कोशिश किया तो अभियुक्त महावीर ने उसके साथ मारपीट की। दिनांक 02/04/2024 को भी रात्रि 11:00 बजे अभियुक्त महावीर ने अभियोक्त्री के साथ जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाया और जब उसने अपना लिंग अभियोक्त्री के मुंह में लेने के लिए बोला और अभियोक्त्री ने मना कर दिया तो अभियुक्त महावीर ने उसके साथ पुनः थप्पड़–मुक्कों से मारपीट किया। उस समय अभियोक्त्री की ननद और सास ने उसे छुड़ाया, परंतु ससुर श्रीनिवास ने उसे गालियां देकर बोला कि ''तुम्हारे पिता ने कार नहीं देकर बारात वालों के सामने मेरी बेइज्जती की है, इसके साथ जो करना है कर, कोई बात होगी तो मैं संभाल लूंगा''। तत्पश्चात् अभियोक्त्री ने अपनी मम्मी को फोन लगाया तो रात में ही अभियोक्त्री के बड़े पापा के लड़के और उसके बड़े पापा उसकी ससुराल में आये और उसे मायके ले गये। अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर महिला पुलिस थाना देवास में प्र.पी.01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखकर अपराध पंजीबद्ध किया गया।

3. अभियोक्त्री को एम.जी. हास्पिटल, देवास भेजकर अभियोक्त्री की सहमति से उसके गुप्तांग का परीक्षण कराया गया। घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया, अभियोक्त्री के पेश करने पर उसकी शादी की निमंत्रण पत्रिका एवं चार रंगीन फोटो जप्त किये गये। अभियोक्त्री के ही पेश करने पर एक साड़ी तथा साड़ी के फोटो जप्त किये गये। अभियोक्त्री तथा उसके भाई एवं पिता आदि के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त महावीर आर्य को भी एम.जी. हॉस्पिटल देवास भेजकर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। फरियादिया के स्लाइड, स्वाब, अंडरवियर तथा अभियुक्त के अंडरवियर, प्यूबिक हेयर एवं सीमन स्लाइड को विधिवत् जप्त किया गया और उसे पुलिस अधीक्षक देवास के पत्र प्र.पी.15 के माध्यम से रासायनिक परीक्षण हेतु क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, झूमरघाट (राउ),

इंदौर भेजा गया तथा उनका परीक्षण कराया गया और अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास के न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां से यह प्रकरण अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण उपार्पण उपरांत प्राप्त होने पर इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।

4. अभियुक्त महावीर आर्य को धारा 498–ए, 323, 377, 506 भाग–2, 354, 354(क)(1)(i) भा.द.सं. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 तथा अभियुक्त श्रीनिवास आर्य को धारा 498–ए, 294 भा.दं.सं. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने तथा पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया और अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में स्वयं को रंजिशवश झूठा फंसाये जाने का बचाव लिया गया है।

5. इस प्रकरण के निराकरण के लिए निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि:–

(1) क्या अभियुक्तगण ने फरियादिया का पति अथवा पति का संबंधी (ससुर) होते हुए उसके साथ क्रूरता कारित की गई ?

(2) क्या अभियुक्त महावीर आर्य द्वारा फरियादिया को थप्पड़ मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई ?

(3) क्या अभियुक्त महावीर आर्य द्वारा फरियादिया के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध स्वेच्छया इंद्रीय भोग कारित किया ?

(4) क्या अभियुक्त महावीर आर्य द्वारा फरियादिया को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित

किया ?

(5) क्या अभियुक्त महावीर आर्य द्वारा फरियादिया की इच्छा के विरूद्ध उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसके साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध इंद्रीय भोग करने के लिए उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

(6) क्या अभियुक्त महावीर आर्य द्वारा फरियादिया की इच्छा के विरूद्ध उसके साथ शारीरिक सम्पर्क एवं अग्रक्रियाएं, जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित था, कारित किया ?

(7) क्या अभियुक्तगण द्वारा फरियादिया से अथवा उसके माता–पिता से दहेज की मांग की गई ?

(8) क्या अभियुक्त श्रीनिवास आर्य द्वारा फरियादिया के साथ सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गालियां देकर फरियादिया को एवं लोगों को क्षोभकारित किया ?

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष समर्थन में केवल 05 साक्षियों का परीक्षण कराया गया है, जिनमें अभियोक्त्री अ.सा.01, अभियोक्त्री के पिता अ.सा.02, अभियोक्त्री के भाई अ.सा.03, डॉ. सूर्यप्रताप सिंह अ.सा.04 एवं निरीक्षक चंद्रकला आर्वे अ.सा.05 हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष समर्थन में प्र.पी.01 लगायत प्र.पी.21 तक के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं तथा आर्टिकल ए–1 लगायत आर्टिकल ए–5 के दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं। अभियुक्तगण की ओर से अपने बचाव में कोई मौखिक साक्ष्य अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

–:: <u>निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण</u> ::–

7. प्रकरण में आयी हुई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. जहां तक प्रकरण में अभियोक्त्री अ.सा.01 एवं अभियुक्त महावीर आर्य के मध्य विधिवत् रूप से विवाह होने का प्रश्न है, अभियोक्त्री ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से बताया है कि दिनांक 04/02/2024 को उसकी शादी हिंदु रीति–रिवाज के अनुसार अभियुक्त महावीर के साथ हुई थी और अभियुक्त महावीर उसका पति है तथा अभियुक्त श्रीनिवास उसका ससुर है। उपरोक्त तथ्य को प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है इसलिए अभियुक्त महावीर का अभियोक्त्री अ.सा.01 का पति होना एवं अभियुक्त श्रीनिवास का अभियोक्त्री का ससुर होना प्रमाणित है।

9. अभियोक्त्री अ.सा.01 ने अपने कथन में बताया है कि शादी के बाद वह अपने ससुराल गई थी और एक दिन रहने के बाद वह अपने मायके वापस आ गई थी और पुनः ससुराल गई थी। उसने यह भी बताया है कि दिनांक 02/04/2024 को रात्रि 11:00 बजे उसके पति महावीर से उसका झगड़ा हो गया था और वह काफी गुस्सा हो गई थी और रात में ही अपने मम्मी–पापा को फोन कर के कहा था कि मुझे यहां से ले जाओ, मुझे यहां नहीं रहना है, तब उसके मम्मी–पापा रात 12:30–01:00 बजे इंदौर आकर उसे वापस ले गये थे और उसके एक दिन बाद उसने अपने पापा के साथ थाने में जाकर घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। इस साक्षी ने अपने संपूर्ण कथन में कहीं भी ऐसा नहीं बताया है कि अभियुक्त महावीर अथवा श्रीनिवास आर्य ने उससे कभी दहेज की मांग किया या उसके साथ क्रूरता किया और अभियुक्त महावीर ने उसकी इच्छा के विरूद्ध शारीरिक संपर्क किया अथवा प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध इंद्रीय भोग किया अथवा उसकी लज्जा भंग कारित करने का प्रयास किया।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोक्त्री अ.सा.01 को पक्षद्रोही घोषित किये जाने के पश्चात् भी उसने अभियोजन पक्ष की ओर से किये गये विस्तृत प्रतिपरीक्षण में घटना का तनिक भी समर्थन नहीं किया है।

11. अभियोक्त्री के पिता अ.सा.02 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में

केवल इतना बताया है कि दिनांक 02/04/2024 को रात्रि 11:00 बजे उसकी बेटी का फोन आया था कि उसका उसके पति के साथ झगड़ा हो गया है और वह जल्दी आ जावें। उसने यह भी बताया है कि अभियोक्त्री का फोन आने पर उसके बड़े भाई का लड़का इंदौर गया था और उसकी बेटी को लेकर वापस आया था, तब एक दिन बाद थाने में रिपोर्ट लिखाई गई थी। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराधों के समर्थन में इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कोई कथन नहीं किया है और अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किये जाने के बाद भी इस साक्षी ने अभियोजन कहानी का तनिक भी समर्थन नहीं किया है।

12. अभियोक्त्री के भाई अ.सा.03 ने केवल इतना बताया है कि अभियोक्त्री उसके काका की लड़की है और अभियोक्त्री की शादी दिनांक 04/02/2024 को अभियुक्त महावीर के साथ हुई थी। इसके अलावा इस साक्षी ने घटना का कोई समर्थन नहीं किया है।

13. डॉ. सूर्यप्रताप सिंह चौहान अ.सा.04 ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 05/04/2024 को वह जिला चिकित्सालय देवास में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को महिला थाना से आरक्षक क्र. 194 संजय चौबे द्वारा अभियुक्त महावीर आत्मज श्रीनिवास को मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था और मेडिकल परीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि अभियुक्त महावीर के टेस्टीज सामान्य थे एवं लिंग भी सामान्य था। उसने यह भी बताया है कि उनके मतानुसार अभियुक्त महावीर संभोग करने में पूर्णतः सक्षम था, जिसके संबंध में उनके द्वारा प्र.पी.11 की रिपोर्ट दी गई थी और अभियुक्त के अंडरवीयर, प्यूबिक हेयर, सीमन स्लाइड को सीलबंद कर संबंधित आरक्षक को सौंप दिया गया था। उपरोक्त तथ्य को अभियुक्त महावीर की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है, जिससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि अभियुक्त महावीर घटना दिनांक को संभोग करने में सक्षम था।

14. जहां तक अनुसंधानकर्ता साक्षी चंद्रकला आर्वे अ.सा.05 के

कथन की विवेचना का प्रश्न है, इस साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 04/04/2024 को वह महिला पुलिस थाना देवास में निरीक्षक के पद पर पदस्थ थी और उक्त दिनांक को फरियादिया द्वारा अपने पति महावीर तथा ससुर श्रीनिवास के विरूद्ध दहेज की मांग करने तथा अनैतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाने के संबंध में मौखिक रिपोर्ट किये जाने पर उसने अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498ए, 323, 377, 506/34 भा.दं.सं. तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध क्रमांक 12/2024 पर अपराध पंजीबद्ध किया था जो रिपोर्ट प्र.पी.01 है और जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

15. साक्षी चंद्रकला आर्वे अ.सा.05 ने आगे यह भी बताया है कि प्रकरण को अनुसंधान हेतु एस.एस. कनासिया को सुपुर्द किया था, परंतु पश्चात में उनका एक्सीडेंट होने के कारण प्रकरण की विवेचना स्वयं उसके द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रकरण की विवेचना के दौरान फरियादिया का मेडिकल परीक्षण कराने हेतु जिला चिकित्सालय देवास भेजा गया था और फरियादिया तथा अन्य साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये थे और फरियादिया के कथन लेखबद्ध किये जाने के दौरान वीडियोग्राफी की गई थी, जिसके संबंध में धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी बनाया गया था। उसने यह भी बताया है कि अनुसंधान के दौरान फरियादिया का कथन धारा 164 द.प्र.सं. के अंतर्गत कराया गया था और फरियादिया के पूरक कथन लिये गये थे तथा पूरक कथनों के आधार पर प्रकरण में धारा 354, 354क(1)(I), 354ख, 509क भा.दं.सं. का भी इजाफा किया गया था। इसी तरह इस साक्षी ने घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया जाना तथा फरियादिया के प्रस्तुत करने पर एक फटी हुई साड़ी तथा साड़ी के साथ फोटो प्र.पी.06 के माध्यम से जप्त किया जाना एवं अभियुक्त तथा फरियादिया के अंडरवियर, स्लाइड आदि को पुलिस अधीक्षक देवास के पत्र प्र.पी.15 के माध्यम से क्षेत्रीय एफ.एस.एल. राउ (इंदौर) भेजना एवं एफ.एस.एल. राउ से रिपोर्ट प्राप्त होने का भी कथन किया है।

16. प्रतिपरीक्षण में साक्षी चंद्रकला आर्वे अ.सा.05 लगभग अखण्डित है, परंतु अभियोक्त्री तथा अन्य स्वतंत्र साक्षियों द्वारा घटना का कोई समर्थन नहीं किया गया है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के अंडरवियर प्रदर्श–डी एवं अभियुक्त के सीमन स्लाइड प्रदर्श–एफ पर वीर्य के धब्बे एवं मानव शुक्राणु पाये गये थे, परंतु केवल इसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

17. अभियोक्त्री के भाई अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका–6 में यह स्वीकार किया है कि फरियादिया तथा अभियुक्तगण के मध्य न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है और संभवतः इसी राजीनामा के कारण ही अभियोक्त्री तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराधों के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। इस प्रकार इस प्रकरण में अनुसंधानकर्ता साक्षी तथा चिकित्सक साक्षी के कथनों के अलावा कोई भी अन्य साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराधों को प्रमाणित माना जा सके।

18. साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह पाया जाता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित समस्त आरोपों को प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त महावीर आर्य को धारा 498–ए, 323, 377, 506 भाग–2, 354, 354(क)(1)(i) भा.द.सं. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 तथा अभियुक्त श्रीनिवास आर्य को धारा 498–ए, 294 भा.दं.सं. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

19. अभियुक्तगण के द्वारा धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत, मुचलकों (यदि कोई हों) को छोड़कर उनके शेष जमानत, मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20. प्रकरण में जप्तशुदा साड़ी, अभियोक्त्री तथा अभियुक्त के अंडरवियर, स्लाइड, अभियोक्त्री का स्वाब एवं अभियुक्त के प्यूबिक हेयर्स

अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे। अभियुक्तगण का धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत अभिरक्षा प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

21. निर्णय की एक प्रति धारा 406 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के आलोक में जिला मजिस्ट्रेट देवास को प्रेषित की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।	मेरे निर्देशन में टंकित किया गया
(अजय प्रकाश मिश्र) सत्र न्यायाधीश देवास (म0प्र0)	**(अजय प्रकाश मिश्र)** सत्र न्यायाधीश देवास (म0प्र0)

AJAY PRAKASH MISHRA

Digitally signed by AJAY PRAKASH MISHRA
Date: 2024.10.03 16:08:42 +0530